राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 622/2025

कलावती
–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, सचिवालय जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.03.2025
आदेश की दिनांक : 27.03.2025

उपस्थित :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : **चेतन राम देवड़ा**, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध मे शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मे निवेदन किया गया है कि उसका चयन ए.एन.एम भर्ती 2023 मे होने पर पदस्थापन हेतु विकल्प पत्र भरवाया गया। अपीलार्थी ने जिला हनुमानगढ मे पदस्थापन हेतु विकल्प भरा था इसके बावजूद 700 कि.मी. दूर उपकेन्द्र रोनवाडा जिला पाली मे पदस्थापन के आदेश जारी किये गये है जबकि जिला हनुमानगढ मे उपकेन्द्र 9 आर.पी. मे ए.एन.एम का पद रिक्त है। अपीलार्थी ने उक्त नियुक्ति आदेश दिनांक 20.11.2024 (अनुलग्नक–1) की पालना में दिनांक 23.01.2025 को उपकेन्द्र रोनवाडा जिला पाली में कार्यग्रहण कर लिया। (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी ने उपकेन्द्र 9 आर.पी. जिला हनुमानगढ मे ए.एन.एम यू. टी.बी. के रूप में दिनांक 02.06.2021 से 29.06.2021 तक कार्य किया। जिसका उपस्थिति रजिस्टर अनुलग्नक–3 पर है। वर्तमान में उपकेन्द्र 9 आर.पी. जिला हनुमानगढ मे ए.एन.एम के पद रिक्त है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे एस.बी.सिविल रीट सं. 14044/2024 रेणु बनाम राजस्थान राज्य मे निर्णय दिनांक

28.08.2024 (अनुलग्नक–5) मे दूरी और उसी स्थान पर ए.एन.एम पद रिक्त होने पर स्थगन आदेश जारी किया है। अधिकरण द्वारा भी अपील संख्या 3956/2024 सरोज शर्मा बनाम चिकित्सा विभाग मे निर्णय दिनांक 20.12.2024 (अनुलग्नक–6) मे विकल्प पत्र में दर्शाये गये स्थान पर पदस्थापन हेतु आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी का प्रकरण सरोज शर्मा के समान है। अतः अपीलार्थी हेतु उपकेन्द्र 9 आर.पी. जिला हनुमानगढ मे ए.एन.एम के रिक्त पद पर संशोधित पदस्थापन आदेश पारित किये जाये।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन कर मनन किया।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को ए.एन.एम भर्ती 2023 मे ए.एन.एम के पद पर चयन किया गया और उसे उप स्वास्थ्य केन्द्र रोनवाडा जिला पाली मे नियुक्ति दी गई (अनुलग्नक–2) जिसमे अपीलार्थी द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। अपीलार्थी का कथन है कि उसने ए.एन.एम (यू.टी.बी.) के रूप मे उप स्वास्थ्य केन्द्र 9 आर.पी. जिला हनुमानगढ मे दिनांक 02.06.2021 से 29.06.2022 तक कार्य किया है और उपकेन्द्र 9 आर.पी. जिला हनुमानगढ मे ए.एन.एम का पद रिक्त है। अतः उसे उसके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर उक्त रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु संशोधित आदेश प्रसारित किये जावे।

5. अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रीट पिटीशन नं. 14044/2024 रेणु बनाम राजस्थान राज्य मे जारी आदेश दिनांक 28.08.2024 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि यह स्थानांतरण का प्रकरण था जबकि अपीलार्थी का प्रकरण नवीन चयन के बाद प्रथम पदस्थापन के संबंध में है। इसी प्रकार अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3956/2024 सरोज शर्मा बनाम चिकित्सा विभाग में पारित आदेश की ओर भी अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया। यह प्रकरण पदोन्नति पर विकल्प के अनुसार पदस्थापन किये जाने से संबंधित था। इसलिये उक्त दोनो प्रकरण अपीलार्थी के प्रकरण से भिन्न है।

6. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा कही भी यह स्पष्ट नही किया गया है कि चयन की वरीयता सूची में उससे कनिष्ठ कार्मिको का पदस्थापन हनुमानगढ मे किया गया और अपीलार्थी मेरिट सूची मे वरिष्ठ होने के बावजूद उसे हनुमानगढ जिले से बाहर नियुक्ति प्रदान की गयी है। अतः हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मे कोई सार नही पाते है। अतः अपील अपीलार्थी बलहीन, सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

अपील संख्या : 622 / 2025 कलावती

(असलम मेहर)	**(चेतन राम देवडा)**
सदस्य	**सदस्य**

NDG/-